

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101)एसएफ/लेखा/बजट/आकाशि/18-19/

जयपुर, दिनांक

समस्त सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :- अधिक अदायगियों की वसूली राशि को वापस राजकोष में जमा कराने से संबंधित नवीन बजट मद खोले जाने बाबत।

सन्दर्भ:- वित्त (आय-व्यय अनुभाग) विभाग का पत्रांक प.4(45)वित्त-1(1)आ.व्यय.
/2014 दिनांक 11.04.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव वित्त (आय व्यय अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक प.8(22)वित्त-1(1)आ.व्य./2000 पार्ट III दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से अधिक अदायगियों की वसूली राशि को वापस राजकोष में जमा कराने से संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष '911-घटाइये अधिक अदायगियों की वसूलियां' खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार नवीन बजट मद खोल दिया गया है-

मांग संख्या 24

2202 - सामान्य शिक्षा

03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

911 - घटाइये अधिक अदायगियों की वसूलियां

(01) - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की वसूलियां

[01] - कॉलेज शिक्षा विभाग

98 - घटाइये (राज्य निधि) (दत्तमत)

अतः भविष्य में गत वर्षों से सम्बन्धित अधिक अदायगियों की वसूली राशि को माइनस शीर्ष में जमा न करवा कर उक्त बजट मद में जमा करवाया जाये।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

-SA-
वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101)एसएफ/लेखा/बजट/आकाशि/18-19/12-13

जयपुर, दिनांक 23/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. उपनिदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर(कार्यालयाध्यक्ष एवं आ0 एवं वि0 अधिकारी)।

2. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

[Signature]
वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(45)वित्त-1(1)आ.व्यय./2014

जयपुर, दिनांक: 11 अप्रैल, 2019

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखों में नवीन बजट शीर्ष खोलने बाबत।


महोदय,

विषयान्तर्गत आपके विभाग के प्रस्तावानुसार महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर से सहमति प्राप्त कर निम्नानुसार नवीन बजट मद खोल दिये गये हैं :-

मांग संख्या 24

- | | |
|------|---|
| 2202 | - सामान्य शिक्षा |
| 03 | - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा |
| 911 | - घटाइये अधिक अदायगियों की वसूलियां |
| (01) | - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की वसूलियां |
| [01] | - कॉलेज शिक्षा विभाग |
| 98 | - घटाइये (राज्य निधि) (दत्तमत) |

भवदीय,



(जसवन्त सिंह)


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. ई-कोषाधिकारी, ई-कोषालय, वित्त भवन, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

ACAS. (B)


12/4/19.